

बिहार सरकार
खेल विभाग

पत्रांक-01/स्था० 21(स्था०)-07/2025...252.../ पटना, दिनांक-24...6/2026
सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.),
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय :- नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में राज्य खेल अकादमी के सुगम संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु स्थापना एवं विभिन्न शीर्षों में कुल राशि ₹3,63,57,350/- (तीन करोड़ तिरसठ लाख संतावन हजार तीन सौ पचास रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-52 के अधीन बजट शीर्ष 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-104-खेलकूद-0013-राज्य खेल अकादमी, राजगीर विपत्र कोड-52-2204001040013 के अंतर्गत संबंधित विषय शीर्षों में उपबंधित राशि से व्यय होगा, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०सं०	विषय शीर्ष	विवरण	राशि
1	01-01	वेतन	454000
2	01-03	जीवन यापन भत्ता	140000
3	01-04	मकान किराया भत्ता	21000
4	01-05	परिवहन भत्ता	21000
5	01-06	चिकित्सा भत्ता	7000
6	01-07	अन्य भत्ता	40000
7	06-01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	18150
8	11-01	यात्रा व्यय	18150
9	13-01	कार्यालय व्यय	1089000
10	13-02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	300000
11	13-10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	290400
12	16-01	प्रकाशन एवं मुद्रण	90750
13	28-02	संविदा सेवाएँ	23486100
14	13-04	विद्युत प्रभार	72600
15	13-05	विधि प्रभार	36300
16	20-01	आतिथ्य व्यय	54450
17	20-02	कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	18150
18	20-03	प्रशिक्षण व्यय	5662800
19	52-01	मशीनें एवं उपस्कर	4537500
कुल राशि-			3,63,57,350/-

3. इस राशि की निकासी, सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा किया जायेगा।
4. स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार / बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार

होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संबंधित से वसूलनीय होगी।

5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय खेल विभाग, बिहार, पटना को विहित विपत्र में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
6. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3758, दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
7. उक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खेल विभाग, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
7. स्वीकृति आदेश पर सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23/06/26

(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० 21(स्था०)-07/2025.252.../ पटना, दिनांक-24.6/2026

प्रतिलिपि :- निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट शाखा/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई0 टी0 मैनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/06/26

सरकार के संयुक्त सचिव।